मैनुअल संख्याः 1

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग की विशिष्टियाँ, कृत्य और कर्तव्य।

उत्तराखण्ड राज्य की जनता को समयबद्ध रीति से सेवा उपलब्ध कराये जाने हेतु तथा उससे संबंधित अनुषांगिक मामलों के लिए राज्य विधानसभा द्वारा पारित किये जाने एवं महामहिम श्री राज्यपाल द्वारा दि॰ 04.10.2011 को अनुमति प्रदान किये जाने के उपरांत विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्याः 307/XXXVI(3)/2011/55(1)/2011, दि॰ 04.10.2011 द्वारा **'उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011'** (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्याः 20 वर्ष 2011) अधिसूचित किया गया है। यह अधिनियम अधिसूचना जारी किये जाने की तिथि से प्रवृत्त है।

उक्त अधिनियम में राज्य विधानसभा द्वारा पारित किये गये संशोधन पर महामहिम श्री राज्यपाल द्वारा दि॰ 27.01.2014 को अनुमति प्रदान किये जाने के उपरांत विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्याः 37/XXXVI(3)/2014/06(1)/2014, दि॰ 27.01.2014 के द्वारा **'उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2014'** अधिसूचित किया गया है।

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग, उत्तराखण्ड़ शासन की अधिसूचना संख्या 155/XXXVI(3)/2023/12(1)/2023, दि॰ 25.04.2023 के द्वारा 'उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2023 अधिसूचित किया गया।

अधिनियम की धारा 12–'आयोग का गठन' के अंतर्गत राज्य सरकार आयोग का गठन कर सकती है तथा धारा 13–'आयोग की संरचना' में मुख्य आयुक्त एवं 02 आयुक्तों की तैनाती का प्राविधान है। इन प्राविधानों के अंतर्गत सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जनसेवा अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्याः 164/XLIII(I)/14– 20(01)/2014, दि॰ 13.03.2014 के द्वारा **'उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग'** का गठन किया गया है।

अधिनियम की धारा 17–'उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग की शक्तियाँ और कृत्य' के द्वारा आयोग के कार्य एवं अधिकार निम्न प्रकार अधिसूचित हैः–

(1) अधिनियम के समुचित कार्यान्वयन तथा सेवा को और अधिक उपयुक्त रूप से सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार को सुझाव देना, आयोग का दायित्व है। इस हेतु आयोगः–

(क) इस अधिनियम के अनुसरण में सेवा को उपलब्ध कराने में असफल होने पर स्वतः संज्ञान ले सकेगा तथा प्रथम अपीलीय प्राधिकारी अथवा पदाभिहित अधिकारी को ऐसे मामलों को निस्तारण के लिए संदर्भित कर सकेगा अथवा स्वतः भी मामलें को निर्णित कर सकेगा।

(ख) सेवाओं को उपलब्ध कराने से संबंधित कार्यालयों तथा प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के कार्यालयों का निरीक्षण कर सकता है।

(ग) इस अधिनियम के अधीन किसी अधिकारी और कर्मचारी को सौंपे गए कृत्यों के निर्वहन में असफल होने पर राज्य सरकार को उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही के लिए संस्तुत कर सकता है।

(घ) सेवाओं की उपलब्धता को अधिक पारदर्शी और सरल करने हेतु संस्तुति कर सकता है। परंतु ऐसी संस्तुति करने से पूर्व आयोग प्रशासनिक विभाग के प्रशासनिक प्रभारी/सचिव से परामर्श करेगा, जो सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी है।

(ङ) धारा–3 के अधीन अधिसूचित किए जाने वाली अतिरिक्त अधिसूचनाओं की संस्तुति तथा इस अधिनियम के प्रभावी क्रियांवयन के लिए जारी की गई अधिसूचनाओं के उपांतरण के लिए सुझाव दे सकता है।

(2) जहाँ आयोग का यह समाधान हो जाय कि इस अधिनियम के उपबंधों के मामलों में जाँच करने के समुचित आधार उपलब्ध हैं, वहाँ वह उस संबंध में कोई जाँच स्वतः प्रारंभ कर सकता है।

(3) आयोग जब धारा–17 के अधीन किसी मामले की जांच अथवा धारा–7 के अधीन अपील का निस्तारण कर रहा हो तो उसे निम्नलिखित मामलों के सम्बन्ध में सिविल प्रक्रिया सहित, 1908 के अधीन वाद के परीक्षण करते समय सिविल न्यायालय की शक्तियां निहित हैं:–

(क) व्यक्तियों को समन और उपस्थित होने के लिए बाध्य करने, शपथ–पत्र पर मौखिक अथवा लिखित साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करने तथा अभिलेखों अथवा वस्तुओं को प्रस्तुत करने की शक्ति,

(ख) अभिलेखों के निरीक्षण और खोज की अपेक्षा करने की शक्ति,

(ग) शपथ–पत्र पर साक्ष्य प्राप्त करने की शक्ति,

(घ) किसी न्यायालय अथवा कार्यालय से, उससे संबंधित कोई लोक अभिलेख या प्रतियों की माँग करने की शक्ति,

(ङ) गवाहों अथवा दस्तावेजों के परीक्षण के लिए समन जारी करने की शक्ति, और

(च) कोई अन्य मामले, जिसे विहित किया जाय, की शक्ति।

(4) आयोग अपने व्यवहरण के संचालन के लिए तथा किसी ऐसे मामलों के लिए, जैसा आयोग उचित समझे, विनियम बना सकता है।

मैनुअल संख्याः 2

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य।

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 एवं उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2014 की धारा 13(1) एवं धारा 15 के प्राविधानांतर्गत उत्तराखण्ड राज्य के लिये **'मुख्य आयुक्त'** की नियुक्ति कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–6, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्याः 34/XXX(6)/20–20(02)/2014, दि॰ 12.06.2020 द्वारा की गयी है। सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जनसेवा अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्याः 1499/XLIII(1)/14–20(02)/1014, दि॰ 20.12.2016 एवं कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–6, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्याः 20/XXX(6)/21–20(02)2014, दि॰ 02.02.2021 तथा अधिसूचना सं॰ 143/XXX(6)/22–20(02)/2014, दि॰ 05.08.2022 द्वारा उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग में कुल 02 **'आयुक्तों'** को नियुक्त किया गया।

सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जनसेवा अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं॰: 482/XLIII(1)/15–20(05)14, दि॰ 30.03.2015 द्वारा उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग का संगठनात्मक ढ़ाँचा स्वीकृत किया गया है। वार्षिक निरंतरता प्राप्ति के कारण ढांचे में स्वीकृत यह 33 पद दि॰ 29.02.2025 तक के लिए सृजित हैं, जिनके आगे भी बने रहने की संभावना है।

आयोग में कार्यरत मुख्य आयुक्त एवं आयुक्तों तथा अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रदत्त शक्तियों और उनके पदवार कर्तव्यों का विवरण निम्नवत् हैः–

क्र॰सं॰	पदनाम	शक्तियाँ और कर्तव्य
1.	मुख्य आयुक्त	आयोग के कार्यों के व्यवहरण में सामान्य पर्यवेक्षण और निर्देशन की शक्तियाँ। विनियमों के अनुसरण में उसमें निहित आयोग के कृत्यों का निर्वहन और शक्तियों के प्रयोग के साथ–साथ बैठक की अध्यक्षता। समय सीमा के भीतर पात्र व्यक्ति को सेवा उपलब्ध न कराये जाने/प्राप्त शिकायतों का निस्तारण तथा सेवाओं के विषय में स्वतः संज्ञान। जाँच, निरीक्षण तथा आवश्यकता पड़ने पर संबंधित कार्मिक के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की संस्तुति। आयोग की वार्षिक रिपोर्ट का प्रेषण।
2.	आयुक्त	समय सीमा के भीतर पात्र व्यक्ति को सेवा उपलब्ध न कराये जाने/प्राप्त शिकायतों का निस्तारण तथा सेवाओं के विषय में स्वतः संज्ञान।
3.	सचिव	कार्यालयाध्यक्ष की शक्तियाँ एवं कर्तव्य। आयोग का सामान्य प्रशासन एवं नियंत्रण। आयोग को प्राप्त शिकायतों पर लिये गये निर्णयों को रजिस्ट्रार के रूप में वादी तथा प्रतिवादी को निर्गत करना। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आयोग के प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी का कार्य करना। मुख्य आयुक्त द्वारा समय–समय पर सौंपे गये कार्य।

4.	उप सचिव	आयोग को प्राप्त शिकायतों पर लिये गये निर्णयों को उप रजिस्ट्रार के रूप में वादी तथा प्रतिवादी को निर्गत करना। पदाभिहित अधिकारियों के कार्यालयों का निरीक्षण संबंधी कार्य।
5	वित्त अधिकारी	वित्त/उप रजिस्ट्रार से संबंधित वित्तीय मामलों तथा लेखा एवं बजट सम्बन्धी कार्य यथा आवश्यकता स्थापना संबंधी कार्यों में सहयोग।
6.	अनुभाग अधिकारी	पदाभिहित अधिकारियों के कार्यालयों का निरीक्षण संबंधी कार्य। आयोग में लेखा/प्रशासनिक संबंधी कार्य करना।
7.	समीक्षा अधिकारी	सचिव के निर्देशन में आयोग में लेखा/प्रशासनिक संबंधी कार्य करना। उच्चाधिकारियों द्वारा समय–समय पर सौंपे गये कार्य।
8.	वैयक्तिक सहायक	आशुलेखन तथा टंकण सम्बन्धी कार्य सुनिश्चित करना। टंकण आदि कार्यों में अधिकारियों को सहयोग करना।
9.	कम्प्यूटर ऑपरेटर	कम्प्यूटर टंकण, डाक प्राप्ति/प्रेषण संबंधी कार्य। आयोग की पत्रावलियों एवं अन्य कार्यालय अभिलेखों का रख–रखाव तथा टंकण आदि कार्यों में अधिकारियों को सहयोग करना।
10.	वाहन चालक	स्टॉफ कारों को चलाने तथा वाहन आदि का रख–रखाव।
11.	अनुसेवक	अनुसेवक से संबंधित कार्य यथा डाक वितरण, कार्यालय कक्षों/मेजों आदि की सामान्य साफ–सफाई तथा समय–समय पर अधिकारियों द्वारा निर्देशित अन्य आवश्यक कार्य।
12.	सुरक्षा गार्ड	रात्रि तथा दिन में कार्यालय की सुरक्षा करना।

मैनुअल संख्याः 3

विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित है।

1. अधिनियम की धारा–17(4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस निमित प्रभावी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग ने अपने कार्यों के प्रभावी प्रबंधन और व्यवहरण हेतु आदेश संख्याः 231/15–14(1)/2015, दि॰ 26/27.08.2015 द्वारा **'विनियम'** लागू किया है। विनियम संशोधन संख्याः 762/16–14(1)/2015, दि॰ 24.10.2016, प्रथम संशोधन संख्याः 45/21–14(01)/2015, दि॰ 13.01.2021 तथा द्वितीय संशोधन संख्याः 605/21–14(01)/2015, दि॰ 13.07.2021, तृतीय संशोधन संख्याः 1063 / 21 – 14 (01) /2015, दि॰ 21.10.2021 एक अन्य संशोधन संख्या 401 / 23 – 14 (01) /2016, दि॰ 29.03.2023 को जारी किया है।

2. आयोग द्वारा समय–समय पर यथा आवश्यक बैठक आहूत कर निर्णय लिये जाने की व्यवस्था है।

3. आयोग के कार्यों के व्यवहरण में सामान्य पर्यवेक्षण और निर्देशन की शक्तियाँ मुख्य आयुक्त को प्रदत्त हैं।

4. आयोग को प्राप्त होने वाली शिकायतों पर निर्णय लेने का अधिकार प्रदत्त हैं।

5. आयोग अधिनियम के अनुसरण में सेवा को उपलब्ध कराने में असफलता होने पर स्वतः संज्ञान ले सकेगा तथा प्रथम अपीलीय प्राधिकारी अथवा पदाभिहित अधिकारी, को ऐसे मामलों को निस्तारण के लिए संदर्भित कर सकेगा अथवा स्वतः भी मामलों को निर्णित कर सकता है।

6. आयोग सेवाओं को उपलब्ध कराने से सम्बन्धित कार्यालयों तथा प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के कार्यालयों का निरीक्षण कर सकता है।

मैनुअल संख्याः 4

अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये स्वयं द्वारा स्थापित मापमान।

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग निहित शक्तियों एंव कृत्यों के अधीन अपने व्यवहरण के संचालन के लिए किसी ऐसे मामले के लिए, जैसा आयोग उचित समझे विनियम बना सकेगा। आयोग द्वारा अपने व्यवहरण के संचालन हेतु अभी तक चार विनियम बनाये गये हैं।

मैनुअल संख्याः 5

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों का निर्वहन के लिये प्रयोग किये गये नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख।

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये प्रयोग किये जा रहे नियम, विनियम, निर्देशिका का ब्यौरा निम्नवत् हैः–

क्र॰ सं॰	अधिसूचना / शासनादेश / आदेश	संक्षिप्त विवरण
1.	विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग, उत्तराखण्ड शसन की अधिसूचना संख्याः 307 / XXXVI(3) / 2011 / 55(1) / 2011, दि॰ 04.10.2011	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011
2.	विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग, उत्तराखण्ड शसन की अधिसूचना संख्याः 37 / XXXVI(3) / 2014 / 06(1) / 2014, दि॰ 27.01.2014	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2014
3.	सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जनसेवा अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्याः 164 / XLIII(1) / 14–20(01) / 2014, दि॰ 13.03.2014	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग का गठन।
4.	कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–6, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्याः 34 / XXX(6) / 20–20(02) / 2014, दि॰ 12.06.2020	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग में 'मुख्य आयुक्त' की नियुक्ति।
5.	सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जनसेवा अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्याः 1499 / XLIII(1) / 14–20(02) / 1014, दि॰ 20.12. 2016	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग में 'आयुक्त' की नियुक्ति।
6.	कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–6, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्याः 20 / XXX(6) / 21–20(02) 2014, दि॰ 02.02.2021	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग में 'आयुक्त' की नियुक्ति।
7.	सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जनसेवा अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं॰: 482 / XLIII(1) / 15–20(05)14, दि॰ 30.03.2015	शासन द्वारा उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग का संगठनात्मक ढ़ाँचा स्वीकृत।
8.	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग के पत्र संख्याः 231 / 15–14(1) / 2015, दि॰ 26 / 27.08.2015	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग (प्रबंधन) विनियम, 2015
9.	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग के पत्र संख्याः 762 / 16–14(1) / 2015, दि॰ 24.10.2016	विनियम (संशोधन), 2016

10	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग के पत्र संख्याः 45/21–14(01)/2015, दि॰ 13.01.2021	विनियम (संशोधन), 2021
11	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग के पत्र संख्याः 605/21–14(01)/2015, दि॰ 13.07.2021	विनियम (संशोधन), 2021
12	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग के पत्र संख्याः 1063/21–14(01)/2015, दि॰ 21.10.2021	विनियम (संशोधन), 2021
13	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग के पत्र संख्याः 401/23–14(01)/2016, दि॰ 29.03.2023	विनियम (संशोधन), 2021
14	विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या : 155/XXXVI(3)/2023/12(1) 2023, दि॰ 25.04.2023	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार(संशोधन) विधेयक, 2023

मैनुअल संख्याः 6

ऐसे दस्तावेजों के, जो उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन हैं, प्रवर्गों का विवरण।

क्र॰सं॰	प्रवर्ग	दस्तावेज अभिलेख
1	सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 1353 / XXXI (13)G / 2011, दि॰ 31.10.2011 एवं संख्याः 1389 / XXXI(13)G / 2011, दि॰ 01.11.2011	उत्तराखण्ड राज्य में उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 के क्रियांवयन के संबंध में निर्धारित सूचना पट्ट, आवेदन–पत्र की प्राप्ति, पदाभिहित अधिकारी / प्रथम अपीलीय प्राधिकारी / द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी के कार्यालय में रखे जाने वाली पंजिका तथा मण्डालायुक्त के स्तर से संकलित सूचना के प्रेषण हेतु निर्धारित प्रारूपों का विवरण।
2.	सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 1337 / XXXI (13)G / 2011, दि॰ 28.10.2011	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 की धारा–3 के अंतर्गत विभाग एवं उनके द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली सेवाएं, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवाएं प्रदान करने की समय–सीमा, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम तथा द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम।
3.	सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जनसेवा अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 368 / XLIII(I)/16-20(04)/2011, दि॰ 28.04.2016	
4.	सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जनसेवा अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 598 / XLIII(I)/16-20(04)/2016, दि॰ 31.05.2016	
5.	सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जनसेवा अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 758 / XLIII(I)/16-20(04)/2016, दि॰ 14.06.2016	
6.	सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जनसेवा अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 868 / XLIII(I)/16-20(04)/2016, दि॰ 28.06.2016	
7.	सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जनसेवा अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन के	

	शासनादेश संख्याः 993 / XLIII(1)/16-20(04)/2016, दि॰ 20.07.2016	
8.	सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जनसेवा अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 146 / XLIII(1)/ 2018-20(04)/16, दि॰ 25.06.2018	
9.	सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जनसेवा अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 156 / XLIII(1)/ 2018-20(04)/16, दि॰ 03.08.2018	
10.	कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–6, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 144/XXX(6)/2019-20(04)16, दि॰ 22.11.2019	
11.	कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–6, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 161/XXXI(6)/19-20(04)2016, दि॰ 12.12.2019	दैवीय आपदा आर्थिक सहायता संबंधी सेवा में संशोधन।
12.	कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–6, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 162/XXXI(6)/19-20(04)2016, दि॰ 12.12.2019	राजस्व विभाग की "किसान बही" सेवा को विमुक्त किये जाने संबंधी संशोधन।
13.	कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–6, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 109/XXX(6)/20-20(04)16, दि॰ 11.12.2020	समाज कल्याण विभाग की "गौरा देवी कन्याधन योजना" एवं "जनश्री बीमा योजना" सेवा को समाज कल्याण विभाग से विमुक्त किये जाने संबंधी संशोधन।
14	कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–6, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 137 /XXX (6) / 2021 – 20 (04) 16, दि॰ 02.03.2021	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 की धारा–3 के अंतर्गत विभाग एवं उनके द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली सेवाएं, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवाएं प्रदान करने की समय–सीमा, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम तथा द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम।
15	कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–6, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्याः 801 /XXX (06) / 21-20 (02) 21, दि॰ 12.11.2021	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 की धारा–3 के अंतर्गत आवास विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली सेवाएं, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवाएं प्रदान

		करने की समय–सीमा, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम तथा द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम अधिसूचित।
16	कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–6, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्याः 802 /XXX (06) / 21-20 (02) 21, दि॰ 12.11.2021	समस्त प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग एवं समाज कल्याण विभाग आदि की सेवाएं विमुक्त(Denotified) की गयी।
17	कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–6, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्याः 803 /XXX (06) / 21-20 (02) 21, दि॰ 12.11.2021	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 की धारा–3 के अंतर्गत पशुपालन विभाग, गृह विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, श्रम विभाग, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग एवं समाज कल्याण विभाग आदि की सेवाओं की समय सीमा, प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं सेवा के नाम में संशोधन किया गया।
18	कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–6, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्याः 837 /XXX (06) / 21-20 (02) 21, दि॰ 30.12.2021	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 की धारा–3 के अंतर्गत कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग, तकनीकी शिक्षा विभाग, कार्यालय रजिस्ट्रार फर्म्स सोसाईटीज एवं चिट्स, श्रम विभाग, गन्ना विकास एंव चीनी उद्योग, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, राष्ट्रीय बचत निदेशालय, राजस्व विभाग, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग आदि की सेवाऐं अधिसूचित की गयी।
19	कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–6, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्याः 812 /XXX (06) / 22-20 (02) 21, TC दि॰ 07.01.2022	वाणिज्य कर विभाग एवं मनोरंजन कर विभाग की कुल 09 एवं 12 कुल 21 सेवाओं को विमुक्त (De-notified)।
20	शासनादेश संख्याः 1447 /XVIII(01) / 2021-07(6)/2019 , दि॰ 27.09.2021	आय प्रमाण–पत्र की वैधता अवधि 06 माह के स्थान पर 01 वर्ष बढ़ाये जाने के संबंध में जो वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ के दिनांक से 01 अप्रैल से वित्तीय वर्ष के अन्त 31 मार्च तक वैध होगा, स्वीकृति प्रदान की गयी।

21	शासनादेश संख्याः 1449/XVIII(01)/ 2021-07(6)/2019, दि॰ 27.09.2021	आय प्रमाण–पत्र की वैधता जो वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ के दिनांक से 31 मार्च तक वैध थी, के स्थान पर प्रमाण–पत्र निर्गत होने की तिथि से 01 वर्ष के लिए वैधता अवधि मान्य होगी।
22	शासनादेश संख्याः 801/XXX(06)/21-20(02)21, दि॰ 12.11.2021	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 की धारा–3 के अंतर्गत आवास विकास की 06 सेवायें अधिसूचित की गई।
23	शासनादेश संख्याः 802/XXX(06)/21-20(02)21, दि॰ 12.11.2021	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 की धारा–3 के अंतर्गत आवास विकास की 11 सेवाओं को विमुक्त (De-notified), तथा समाज कल्याण की 05 सेवाओं को विमुक्त (De-notified) अधिसूचित की गई।
24	शासनादेश संख्याः 803/XXX(6)/2021-20(02)21, दि॰ 12.11.2021	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 की धारा–3 के अंतर्गत चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की 15 सेवायें एवं 04 सेवाओं की समय–सीमा में संशोधन, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की 01 सेवा के प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के पदनाम में संशोधन, समाज कल्याण की 01 सेवायें, गृह विभाग की 8 सेवाओं की समय–सीमा में संशोधन, श्रम विभाग की 03 सेवाओं की समय–सीमा में संशोधन एवं अल्पसंख्यक कल्याण की 01 सेवा की समय–सीमा में संशोधन अधिसूचित की गई।
25	शासनादेश संख्याः 837/XXX(06)/ 21-20(02)21, दि॰ 30.12.2021	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 की धारा–3 के अंतर्गत राजस्व विभाग की 05 सेवायें, माध्यमिक शिक्षा 10 सेवायें, श्रम विभाग की 01 सेवायें, कौशल विकास एवं सेवायोजन की 11 सेवायें, तकनीकी शिक्षा की 16 सेवायें, रजिस्ट्रार, फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स की 06 सेवायें, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग की 23 सेवायें, नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान (खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले) की 12 सेवायें, राष्ट्रीय बचत निदेशालय की 02 सेवायें, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग की 03 सेवायें

		अधिसूचित की गयी।
26	शासनादेश संख्याः 198/XXX(06)/ 2022-20(02)21 , दि॰ 20.06.2022	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 की धारा–3 के अंतर्गत राजस्व विभाग की 01 सेवा एवं 20 सेवाओं की समय–सीमा में संशोधन, पशुपालन विभाग की 01 सेवा एवं 01 सेवा के द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी के पदनाम में संशोधन, मत्स्य विभाग की 03 सेवाओं की समय–सीमा में संशोधन अधिसूचित की गयी।
27	शासनादेश संख्याः 158/XXX(6)/22-20(02)21, दि॰ 11.07.2022	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 की धारा–3 के अंतर्गत राज्य कर (वित्त विभाग) 12 सेवायें, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें (आयुष एवं आयुष शिक्षा विभाग) की 16 सेवायें अधिसूचित की गई।
28	शासनादेश संख्याः 214/XXX(6)/22-20(02)21, दि॰ 04.08.2022	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 की धारा–3 के अंतर्गत परिवहन विभाग की 43 सेवायें अधिसूचित की गई।
29	शासनादेश संख्याः 323/XXX(6)/22-20(02)21, दि॰ 25.10.2022	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 की धारा–3 के अंतर्गत चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की 01 सेवा, ग्रामीण निर्माण विभाग की 07 सेवायें अधिसूचित की गई।
30	शासनादेश संख्याः 79377/XXX(6)/22-20(02)21, दि॰ 28.11.2022	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 की धारा–3 के अंतर्गत समाज कल्याण की 08 सेवायें, गृह विभाग की 17 सेवायें, ग्राम्य विकास की 02 सेवायें की समय–सीमा में संशोधन, पंचायती राज की 03 सेवायें, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण की 26 सेवायें अधिसूचित की गई।

31	शासनादेश संख्याः I/124714/E-17505/2023/XXXIV(3)/-20(02)21 , दि॰ 25.05.2023	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 की धारा–3 के अंतर्गत राजस्व विभाग की 09 सेवायें, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की 15 सेवायें, परिवहन की 11 सेवायें, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की 04 सेवायें, समाज कल्याण की 07 सेवायें, शहरी विकास की 24 सेवायें, गृह विभाग की 21 सेवायें, औद्योगिक विकास की 17 सेवायें, पशुपालन की 03 सेवायें, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग की 03 सेवायें, ऊर्जा विभाग की 43 सेवायें, अल्पसंख्यक कल्याण की 04 सेवायें, लघु सिंचाई की 1 सेवा, कृषि एवं कृषि विपणन की 31 सेवायें, सैनिक कल्याण की 06 सेवायें, वन विभाग की 22 सेवायें, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें (आयुष एवं आयुष शिक्षा विभाग) की 07 सेवायें, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण की 02 सेवायें, उच्च शिक्षा विभाग की 33 सेवायें, बेसिक/प्राथमिक शिक्षा की 11 सेवायें, आबकारी की 42 सेवायें, खनन की 08 सेवायें, सहकारिता की 15 सेवायें, रेशम की 12 सेवायें, आपदा प्रबंधन की 01, डेयरी विकास की 01, संस्कृत शिक्षा की 17 सेवायें अधिसूचित की गई।
32	शासनादेश संख्याः I/160066 /E-17505/2023/XXXIV(3)/-20(02)21. दि॰ 09.10.2023	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 की धारा–3 के अंतर्गत गृह विभाग की 11 सेवायें, पशुपालन की 08 सेवायें, लोक निर्माण की 10 सेवायें, लघु सिंचाई की 16 सेवायें, कृषि एवं कृषि विपणन की 03 सेवायें, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण की 02 सेवायें, खनन विभाग की 03 सेवायें, खेल विभाग की 34 सेवायें, सिंचाई विभाग की 10 सेवायें, आयुष एवं आयुष शिक्षा (होम्योपैथी) विभाग की 06 तथा वित्त विभाग की 05 सेवायें अधिसूचित की गई।

33	शासनादेश संख्याः I/180972/E-17505/2024/XXXIV(3)/-20(02)21, दि॰ 09.01.2024	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 की धारा–3 के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की 16 सेवायें, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की 04 सेवायें, गन्न विकास एवं चीनी उद्योग विभाग की 03 सेवायें, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की 03 सेवायें, कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग की 02 सेवायें, गृह विभाग की 02 सेवायें, कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग की 01 सेवायें, बेसिक शिक्षा विभाग की 01 सेवायें, पर्यटन विभाग की 01 सेवायें तथा ऊर्जा विभाग की 01 सेवायें अधिसूचित की गई।
34	शासनादेश संख्याः I/187490/E-29664/2024/XXXIV(3)/-20(02)21, दि॰ 05.02.2024	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 की धारा–3 के अंतर्गत समाज कल्याण विभाग की 18 सेवायें, पशुपालन विभाग की 04 सेवायें, डेरी विकास विभाग की 09 सेवायें, संस्कृति धर्मस्व, तीर्थाटन प्रबन्धन एवं धार्मिक मेला विभाग की 03 सेवायें, संस्कृत शिक्षा विभाग की 02 सेवायें, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की 02 सेवायें, सूक्ष्म, लद्यु एवं मध्यम उद्यम विभाग की 02 सेवायें, तथा पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की 01 सेवायें अधिसूचित की गई।
35	शासनादेश संख्याः I/193325/E-35664/24/XXXIV(3)/-20(01)21, दि॰ 26.02.2024	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 की धारा–3 के अंतर्गत उत्तराखण्ड के समस्त विभागों से सम्बन्धित 03 सेवायें, चिकित्सा स्वास्थय एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग की 04 सेवायें, आयुष एवं आयुष शिक्षा विभाग की 04 सेवायें अधिसूचित की गई।
36	शासनादेश संख्याः I/219433/24//E-17505/2024/XXXIV(3)/-20(02)21, दि॰ 21.06.2024	आयुष, उच्च शिक्षा, लघु सिंचाई, अल्पसंख्यक कल्याण, ऊर्जा, मतस्य, वित्त, एवं पशुपालन विभाग की कुल कुल 67 सेवाओं को विमुक्त (De-notified) किया गया।

37	शासनादेश संख्याः I/219313/E-17505/ 2024/XXXIV(3)/-20(01)21, दि॰ 21.06. 2024	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 की धारा–3 के अंतर्गत आयुष एवं आयुष शिक्षा विभाग की 13 सेवायें, पशुपालन विभाग की 01 सेवायें, ऊर्जा विभाग की 21 सेवायें, वित्त विभाग की 01 सेवा, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की 01 सेवा अधिसूचित की गई।

मैनुअल संख्याः 7

किसी व्यवस्था की विशिष्टियाँ, जो उसकी नीति की संरचना या उसके क्रियांवयन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिये या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिये विद्यमान है।

1. जन–सामान्य के उपयोगार्थ द्विभाषी वेबसाईट www.urtsc.gov.in के माध्यम से सूचनाओं का आदान–प्रदान।
2. ई–मेल, फैक्स/मोबाईल तथा डाक का माध्यम (ई–मेल आई॰डी॰ ukrtsc@gmail.com, secy-urtsc-uk@gov.in)।
3. जानकारी प्राप्ति हेतु नागरिकों के लिए टोल फ्री हैल्पलाइन नंबर–1800–270–9818 की व्यवस्था।
4. अधिसूचित सेवाओं के सम्बन्ध में शिकायत/जानकारी/सुझाव हेतु वॉटस्ऐप नं॰ 7617579050/7617579041/7617579071/7617579040 की व्यवस्था।
5. निरीक्षणों/जाँच/क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान जन–सामान्य से वार्तालाप।

मैनुअल संख्याः 8

ऐसे बोर्डों, परिषदों, समितियों और निकायों के, जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं, जिनका उसके भागरूप में सलाह देने के प्रयोजन के लिये गठन किया गया है और इस बारे में कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिये खुली होगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुँच होगी, विवरण।

आयोग एक निगमित निकाय है। जिसे शारस्वत अधिकार प्राप्त है। अधिनियम के अनुसरण में सेवा को उपलब्ध कराने में असफल होने पर स्वतः संज्ञान लेने तथा प्रथम अपीलीय प्राधिकारी अथवा पदाभिहित अधिकारी को ऐसे मामलों को निस्तारण के लिए संदर्भित करना अथवा स्वतः भी मामलों को निर्णित करने, सेवा को उपलब्ध कराने से सम्बन्धित कार्यालय का तथा प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के कार्यालयों का निरीक्षण करने की शक्तियां आयोग को निहित हैं। राज्य सरकार को सुझाव देने आयोग का दायित्व है।

मैनुअल संख्याः 9

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग के अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका

क्र॰सं॰	नाम	पदनाम
1.	श्री अनिल कुमार रतूड़ी	आयुक्त
2.	श्री भूपाल सिंह मनराल	आयुक्त
3.	डॉ॰ शिव कुमार बरनवाल	सचिव
4.	श्री दिनेश चन्द्र वर्मा	उप सचिव
5.	श्री संतराम पांचाल	वित्त अधिकारी
6.	श्री जशपाल लाल	अनुभाग अधिकारी
7.	श्रीमती अनीता भट्ट	समीक्षा अधिकारी
8.	श्री यशपाल सिंह गुसाईं	समीक्षा अधिकारी
9.	श्री विकास नेगी	समीक्षा अधिकारी

कार्यालय का टोल फ्री नंबर–1800–270–9818 तथा ई–मेल secy-urtsc-uk@gov.in

मैनुअल संख्याः 10

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग के प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त पारिश्रमिक, जिसके अंतर्गत प्रतिकर की प्रणाली भी है, जो उसके विनियमों में यथा उपबंधित हो।

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक का ब्यौरा निम्नवत् हैः—

(धनराशि रूपये में)

क्र॰सं॰	नाम	पदनाम	वेतनमान	वर्तमान कुल वेतन
2.	श्री अनिल कुमार रतूड़ी	आयुक्त	₹ 2,25,000/—	₹ 231750/— {अंतिम आहरित वेतन (–) पेंशन}
3.	श्री भूपाल सिंह मनराल	आयुक्त	₹ 2,25,000/—	₹ 235150/— {अंतिम आहरित वेतन (–) पेंशन}
4.	डॉ॰ शिव कुमार बरनवाल	सचिव	₹ 123100—215900 L-12	अतिरिक्त प्रभार
5.	श्री दिनेश चन्द्र वर्मा	उप सचिव	संविदा	₹ 94019/—
6.	श्री संतराम पांचाल	वित्त अधिकारी	₹ 56100—177500 L-10	अतिरिक्त प्रभार
7.	श्री जशपाल लाल	अनुभाग अधिकारी (सम्बद्ध)	₹ 56100—177500 L-10	सम्बद्ध
8.	श्रीमती अनीता भट्ट	समीक्षा अधिकारी (प्रतिनियुक्ति)	₹ 44900—142400 L-7	₹ 87057/—
9.	श्री यशपाल सिंह गुसाईं	समीक्षा अधिकारी	संविदा	₹ 65554/—
10.	श्री विकास नेगी	समीक्षा अधिकारी	संविदा	₹ 65554/—

वैयक्तिक सहायक, कम्प्यूटर ऑपरेटर, वाहन चालक, सुरक्षा गार्ड एवं अनुसेवक ऑऊटसोर्सिंग पर उपनल/पी॰आर॰डी॰ के माध्यम से।

मैनुअल संख्याः 11

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग की सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किये गये संवितरणों पर रिपोटों की विशिष्टियाँ उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट।

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग वार्षिक बजट व्यवस्था उत्तराखण्ड शासन में सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जनसेवा विभाग के माध्यम से करता है। आयोग का कोई क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है, इसलिए प्राप्त बजट का आहरण–वितरण आयोग की आवश्यकताओं के अनुरूप किया जाता है। वर्ष 2025–2026 में आयोग हेतु प्राविधानित बजट निम्नवत् हैः–

अनुदान संख्याः 006 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन

लेखाशीर्षक 2062–सतर्कता
105–अन्य सतर्कता एजेंसियां
04–सेवा का अधिकार आयोग–00

क्र॰सं॰	मानक मद का नाम	(धनराशि ₹ हजार में)
1	01–वेतन	10000
2	02–मजदूरी	100
3	03–महंगाई भत्ता	6100
4	04–यात्रा व्यय	400
5	06–अन्य भत्ते	1200
6	07–मानदेय	10
7	08–पारिश्रमिक	9000
8	09–चिकित्सा प्रतिपूर्ति	400
9	10–प्रशिक्षण व्यय	200
10	11–अनुमन्यता सम्बन्धी व्यय	1500
11	20–लेखन सामग्री एवं छपाई	300
12	21– कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	300
13	22–कार्यालय व्यय	1000
14	24–विज्ञापन, बिक्री, व्याख्यापन एवं प्रकाशन पर व्यय	300
15	25–उपयोगिता बिलों का भुगतान	400
16	26–कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर एवं अनुरक्षण	500
17	27–व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	1200
18	29–गाड़ियों का संचालन अनुरक्षण एवं ईंधन आदि की खरीद	2000
19	30–आतिथ्य व्यय	100
20	40–मशीन उपकरण सज्जा एवं संयत्र	200

21	42--अन्य विभागीय व्यय	50
22	51--अनुरक्षण	300
23	52--लघु निर्माण	300
	योग	35860

आयोग को वर्तमान में आवंटित धनराशि – ₹ 35860/– (हजार रूपये में)

मैनुअल संख्याः 12

सहायक कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और कार्यक्रमों के फायदाग्राहियों के ब्योरे सम्मिलित हैं।

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग के स्तर पर ऐसे कोई कार्यक्रम संचालित नहीं किये जाते हैं, जिसमें धनराशि आवंटित की जाती हो और फायदाग्राहियों को कोई लाभ पहुंचता हो।

मैनुअल संख्याः 13

अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियाँ।

कोई पात्र व्यक्ति, जिसकी अपील सेवा प्राप्त करने के लिए खारिज कर दी गयी हो या धारा–6 के अधीन प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा विहित समय के भीतर सेवा उपलब्ध न कराने की दशा में ऐसे आदेश के खारिज होने की तारीख से तीस दिन के भीतर या प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा विहित समय की समाप्ति पर द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी को अपील योजित की जा सकेगी।

मैनुअल संख्याः 14

किसी इलैक्ट्रानिक रूप में सूचना के संबंध में ब्योरे, जो उसको उपलब्ध हो या उसके द्वारा धारित हो।

क्र॰सं॰	प्रवर्ग	दस्तावेज अभिलेख
1.	पुनरीक्षण/शिकायत/स्वतः संज्ञान (उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 की धारा–17 के अधीन)।	पुनरीक्षणों/शिकायतों की पृथक–पृथक पत्रावलियाँ। आयोग द्वारा लिये गये स्वतः संज्ञान की पृथक–पृथक पत्रावलियों में टंकित आदेश।
2.	आयोग को प्राप्त विभिन्न पत्र/आवेदन।	अधिनियम के प्राविधानों से इतर प्राप्त शिकायती पत्र/आवेदनों की पत्रावली में टंकित पत्र।
3.	सामान्य प्रशासन (लेखा, स्थापना आदि)	आयोग के कार्यालय के सामान्य प्रशासन की विभिन्न पत्रावलियों में टंकित पत्र/आदेश/कार्यालय–ज्ञाप आदि।
4.	मासिक प्रतिवेदन	मण्डलायुक्तों द्वारा प्रेषित मासिक प्रगति प्रतिवेदन सूचना।

मैनुअल संख्याः 15

सूचना अभिप्राप्त करने के लिये नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियाँ, जिनमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के, यदि लोक उपयोग के लिये अनुरक्षित है तो, कार्यकरण घंटे सम्मिलित है।

सुविधाएं जिनके द्वारा जन–सामान्य सूचनाएं प्राप्त कर सकता है, निम्नवत् हैः–

1. द्वि–भाषीय वेबसाईट।
2. ई–मेल, फैक्स, टोल फ्री, व्हाट्सअप नं॰ (7617579040, 7617579050, 7617579041 एवं 7617579071), डाक का माध्यम (ई–मेल आई॰डी॰ secy-urtsc-uk@gov.in, ukrtsc@gmail.com, वेबसाईट www.urtsc.gov.in तथा टोल फ्री नम्बर 1800–270–9818, डाक–स्पीड़ पोस्ट/ पंजीकृत/साधारण डाक)।
3. सूचना पट्ट।
4. विज्ञापन।

मैनुअल संख्याः 16

लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियाँ

प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारीः–

नाम	पदनाम	कार्यालय पता	मोबाईल नंबर
डॉ॰ शिव कुमार बरनवाल	सचिव	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग, चालंग हिल्स, पो॰–कुल्हान, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून।	87559 10025

लोक सूचना अधिकारीः–

नाम	पदनाम	कार्यालय पता	मोबाईल नंबर
श्री जशपाल लाल	अनुभाग अधिकारी	उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग, चालंग हिल्स, पो॰–कुल्हान, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून।	76175 79071

मैनुअल संख्याः 17

ऐसी अन्य सूचना, जो विहित की जाय

सेवा का अधिकार आयोग के मुख्य आयुक्त को आयोग के कार्यों के व्यवहरण में सामान्य पर्यवेक्षण और निर्देशन की शक्तियां निहित है। इसके साथ ही अधिसूचति सेवाओं को उपलब्ध कराने से सम्बन्धित कार्यालयों तथा प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों के कार्यालयो का निरीक्षण करने की शक्ति प्राप्त है। आयोग की शक्तियां एवं कृत्य के अधीन किसी अधिकारी और कर्मचारी को सौंपे गये कृत्यों के निर्वहन में असफल होने पर राज्य सरकार को उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही करने की संस्तुति कर सकता है।